न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –60 / 2016

अनवान : –

1. गंगाराम पुत्र कुरडाराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. जीवणराम पुत्र श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
3. भवरलाल पुत्र खेताराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।

–

वादीगण

बनाम्

1. साहबराम पुत्र माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. रूडाराम पुत्र माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. पप्पूराम पुत्र माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ –**फौत**

   3/1 शान्ति पत्नि पप्पूराम माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

   3/2 पूजा पुत्री पप्पूराम माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

   3/3 सुनील पुत्र पप्पूराम माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

   3/4 सन्दीप पुत्र पप्पूराम माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
4. **सहीराम– फौत**

   4/1 गोरा देवी पत्नि सहीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

   4/2 लीला देवी पुत्री सहीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

   4/3 विनोद पुत्र सहीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
5. सरबती पुत्री माता धनी पत्नि नेतराम पुत्र सहीराम पुत्र माता धनी पुत्री सहीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
6. रामदेई पुत्री माता धनी पत्नि रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–असल प्रतिवादीगण

7. प्रभुराम पुत्र कुरडाराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
8. बलदेव पुत्र महिपतराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
9. बिमला पुत्री महिपतराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
10. राणी पुत्री महिपतराम जाति बाव[illegible] भूकरका तहसील नोहर
11. महेन्द्र पुत्र महिपत[illegible] भूकरका तहसील नोहर
12. चावली पुत्री चा[illegible] जाति बावरी [illegible] भूकरका तहसीलनोहर
13. भानीराम पुत्र चानणराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

14. सन्तोष पुत्री चानणराम पत्नि बृजलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
15. भागादेवी पत्नि भंवरलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
16. बलवन्त पुत्र भवंरलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
17. भजनलाल पुत्र भवंरलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
18. कलावती पुत्री भंवरलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
19. राजेन्द्र पुत्र रतनलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
20. सुमन पुत्री रतनलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
21. पाना पुत्री रतनलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
22. नन्दराम पुत्र श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
23. लिछमा पुत्री श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
24. विद्या पुत्री श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
25. सावित्री पुत्री श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
26. सिलोचना पुत्री श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
27. रामेती पुत्री श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
28. रूकमा देवी पत्नि खेताराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
29. मुन्शीराम पुत्र खेताराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
30. पाना पुत्री खेताराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
31. सन्तोष पुत्री खेताराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
32. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा
88–89,राजस्थानकाश्त0 अधि01955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 06/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है किरोही मौजा मौजा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 820/752 के ख.न. 412 की 10.3830 हैक्टर भूमि ख.न. 790 की 0.3790 हैक्टर भूमि ख.न. 661/2 की 0.1640 हैक्टर भूमि कुल तादादी 10.9260 हैक्टर भूमि हीराराम पुत्र बीझाराम कौम बावरी साकिन भूकरका तहसील नोहर की अर्जित भूमि थी।

हीरा पुत्र बीझा का स्वर्गवास हो चुका है उक्त आराजी पुराना ख.न. 423 की 41 बीघा 1 बिस्वा, व नया खसरा सं. 412 की 41 बीघा 5 बिस्वा व पुराने ख.न. 551 की 5 बीघा 6 बिस्वा, ख.न. 550 की 1 बीघा 5 बिस्वा, ख.न. 423 की 41 बीघा 1 बिस्वा नया खसरा सं. 428 की 31 बीघा 8 बिस्वा व नया खसरा सं. 411 की 31 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज कागजात बन्दोबस्त थी हिरा वल्द बीझा की उक्त अर्जित भूमि को हिरा वल्द बीझा के फौत होने पर उनके पिछे वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की पत्रावली गवाहन प्रार्थी के बयानो की [illegible] कर हीरा का नाम खारीज करके मु. केसर देवी हीरा, व च्यानणराम, जैसार[illegible]रायण व कुरडाराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 12/01/19[illegible] [illegible]या मि.न. 365/70 बअनवानी चानण वगैराह पि. हीराराम [illegible] प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 की माता धनी पुत्री हीरा जोजा काशीराम ने मि.न. 365/70 बअन[illegible] चानण वगैराह पि. हिरा साकिन भूकरका पत्रावली में ए.एस.ओ. के समक्ष ब्यान दिये थे कि रोही मौजा भूकरका खं.न. 412 की 41

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बीघा 1 बिस्वा गैरखातेदारी ख.न. 411 की 31 बीघा 8 बिस्वा खातेदारी ख.न. 662 की 6 बीघा 12 बिस्व ख.न. 412 की 41 बीघा 1 बिस्व भूमि में धन्नी पुत्री हिरा जो कि प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 की माता है ने शपथ पूर्वक ब्यान दिया था कि वह अपने पिता की उक्त आराजी में अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। इसलिए पिता की भूमि में धन्नी का नाम दर्ज ना किया जावे जिस आधार पर हिरा वल्द बीझा के जो भूमि वाद भूमि के अलावा और थी उसमें धन्नी का नाम कलमजन कर दिया यानि खातेदारी भूमि में से धनी का नाम कलमजन कर दिया परन्तु अर्जीदावा की मद सं. 2 में वर्णित वाद भूमि जो कि गैर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 की माता धनी ने 1/5 हिस्सा कतई गलत तौर से दर्ज करवा लिया जबकि उक्त नाम कतई गलत तौर से दर्ज किया जिसे वादीगण राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवा पाने के अधिकारी है।वाद भूमि में धनी का नाम कतई गलत तौर से दर्ज है धनी का 1/5 हिस्सा धनी द्वारा वाद के पक्षकारान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण यानि धनी द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया गया था। तथा धनी ने उक्त परित्याग बाबत शपथ पूर्वक ब्यान दिये थे कि वह पिता की उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर रही है उक्त ब्यानो से प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 तथा उनकी माता धनी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से एस्टोपल्ड थी अर्थात अपने ब्यानो से विविन्धित थी तथा राजस्व रिकार्ड में कतई अनुचित व गलत तरीके से उसका का 1/5 हिस्सा दर्ज किया गया है, जो वादीगण कलमजन करवा राजस्व रिकार्ड सशोधित दुरूस्त करवा वादी सं. 1 तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 (बहिनो द्वारा हक परित्याग करने के पश्चात) 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकर है तथा वादी सं. 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 24 ता 31 प्रत्येक सयुक्ततः 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है वादी सं. 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 32 ता 35 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है जबकि भुआ तुलछा, रामा, मिलो, पाना, मनोहरी अपने हक दस्तबरदार हो चुकी है प्रतिवादी सं. 8 ता 12 सयुक्ततः प्रतिवादी सं. 13 ता 15 प्रत्येक व प्रतिवादी सं. 6 ता 19 सयुक्ततः तथा प्रतिवादी सं. 20 ता 23 सयुक्ततः 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 6 की माता धनी का नाम कलमजन करवाकर उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवा वाद भूमि को तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।वाद भूमि हिरा वल्द बीझा की सम्बत 2012 से पूर्व की अर्जित व नौतोड कर्दा है उक्त भूमि जायज दस वर्ष से कब्जा काश्त है जबकि हिरा वल्द बीझा की उक्त अर्जित भूमि में ख.न. 411 में खातेदारी अधिकार देकर प्रतिवादी सं. 2 ता 6 की माता धनी देवी का नाम कलमजन कर दिया जबकि सम्बत 2012 में हिरा वल्द बीझा के पिता का नाम बीझा के स्थान पर मुणा दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त त्रुटि सहबन व भूल वंश थी जबकि हिरा वल्द मुणा का नाम का कोई व्यक्ति अन्य नही था केवल हिरा वल्द बीझा दर्ज होना था उक्त त्रुटि सहबन थी तथा सुधार योग्य थी। जिसके आधार पर वाद भूमि अमला माल राजस्व रिकार्ड विभाग द्वारा वाद भूमि को खातेदार काश्तकार दिये जाने से वंचित कर दिया जबकि वाद भूमि सम्बत 2012 से अर्जित होने के कारण वादी उकत् भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी जायज दस वर्ष से अधिक समय का कब्जा होने के कारण व सम्बत 2012 में वादीगण के मौरूसान हिरा वल्द बीझा काबिज थे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के ताबे जो व्यक्ति जिस भूमि पर काबिज था उस व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिये जाने थे जबकि हिरा वल्द बीझा उक्त खातेदारी अधिकार [illegible] चुका था लेकिन कानूनी तौर से उक्त भूमि पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण [illegible] अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वाद भूमि रोही मौजा [illegible] सं. 840/838 के ख. न. 412 की 10.383 हैक्टर भूमि व ख.न. 661/2 की 0.1640 हैक्टर भूमि ख.न. 790 की 0.3790 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 10.9260 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज भूमि कुल 2.1852 हैक्टर भूमि जिसमें वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 7 सयुक्ततः 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा भूमि के एवं वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 22 ता 27 सयुक्तत: 1/4 हिस्स के व वादी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 28 ता 38 सयुक्तत: 1/4 हिस्सा के व प्रतिवादी सं. 12 ता 14 सयुक्तत: व प्रतिवादी सं. 15 ता 18 सयुक्तत: व प्रतिवादी सं. 19ता 21 सयुक्तत: व प्रतिवादी सं. 8 ता 11 सयुक्तत: 1/4 हिस्सा केखातेदार काश्तकार है वादी राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 3/1 ता 3/4 सयुक्तत: के मौरूसान पप्पूराम पुत्र धनी व प्रतिवादी सं. 4/1 ता 4/3 के मौरूसान सहीराम पुत्र माता धन्नी व प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम दर्ज कुल तादादी 2.1852 हैक्टर भूमि कलमजन करके वादीगण उपरोक्तानुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त आश्यों की वादीगण घोषणा करवापाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण वाद भूमि अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज होने के कारण रहन/बैय व अन्य तरीके से फरोख्त करने की मन्शा बना चुके है इस हेतु उन्होने ग्राहक तलाशने शुन्य कर दिये है तथा इस हेतु भूमि के सींव के चारो और चक्कर लगा रहे है जबकि प्रतिवादीगण की माता धनी उक्त भूमि को वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है उसके बावजुद केवल नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वाद भूमि अन्यत्र फरोख्त करने में लगे है जिसे वादीगण को अपूर्णीय खति होती है तथा ना पुरा होने वाला नुक्शान होता है इसलिए वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्यों का अनुतोष पाने का अधिकारी है कि वाद भूमि को प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 रहन/ बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे तथा राजस्व रिकार्ड में बिना इजाजत बिना न्यायालय के इजाजत के कोई परिवर्तन ना करे।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 840/838 के ख.न. 412 की 10.383 हैक्टर भूमि व ख.न. 661/2 की o. 1640 हैक्टर भूमि ख.न. 790 की 0.3790 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 10.9260 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज भूमि कुल 2.1852 हैक्टर भूमि में जिसमें वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 7 सयुक्तत: 1/4 हिस्सा भूमि के एवं वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 22 ता 27 सयुक्तत: 1/4 हिस्स के व वादी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 28 ता 38 सयुक्तत: 1/4 हिस्सा के व प्रतिवादी सं. 12 ता 14 सयुक्तत: व प्रतिवादी सं. 15 ता 18 सयुक्तत: व प्रतिवादी सं. 19ता 21 सयुक्तत: व प्रतिवादी सं. 8 ता 11 सयुक्तत: 1/4 हिस्सा केखातेदार काश्तकार है वादी राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 3/1 ता 3/4 सयुक्तत: के मौरूसान पप्पूराम पुत्र धनी व प्रतिवादी सं. 4/1 ता 4/3 के मौरूसान सहीराम पुत्र माता धन्नी व प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम दर्ज कुल तादादी 2.1852 हैक्टर भूमि कलमजन करके वादीगण का वाद उपरोक्तानुसार डिक्री /दर्ज करवाने के अधिकारी है

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद असल प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की वादीगण द्वारा सजरा खानदान गलत बनाया गया है इसमें सम्पूर्ण विवरण नही देकर वंशजो को छुपाया गया है जैसा कि हीराराम के फौत हो जाने के पश्चात उसके जायज वारिसान पांच पुत्र हुए चानणरा, जैसाराम श्योरानाराण, कुरड़ा [illegible] घन्नी है तथा सभी फौत हो चुके है मगर कुर्सीनामा में चारो के हकदारान [illegible] दर्शाया जा चुका है मगर प्रतिवादी की माता घन्नी जो दिनांक 8.11.2000 [illegible] 16 वर्ष पूर्व फौत है उसके वंशज प्रतिवादीगण स० 1 ता 6 [illegible] नही दर्शाया गया है रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स० 820/752 के [illegible]0 412, 790, 661/2 की कुल 10.9260 हैक्ट भूमि हीराराम पुत्र बीझारा तादादी भूकरका की स्वंय की अर्जित भूमि ना होकर यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

बिझाराम की पैदा करदा भूमि थी जिसमें से स्व० हीराराम को उपरोक्त भूमि उत्तराअधिकारी में प्राप्त हुई थी। उपरोक्त भूमि मिसल बन्दोबस्त हाल में ख0न0 423 की 41 बीघा 1 बिस्वा ख0न0 412 की 41 बीघा 5 बिस्वा पुराने ख0न0 551 की 5 बीघा 6 बिस्वा वख0न0 550 की 1 बीघा 05 बिस्वा ख0न0 423 की 41 बीघा 1 बिस्वा नया ख०न० 428 की 31 बीघा 8 बिस्वा, नया ख0न0 41 की 31 बीघा 3 बिस्वा भूमि हिराराम के ना दर्ज होना स्वीकार है। वादीगण ने उपरोक्त भूमि का इन्तकाल दर्ज करवाने सम्बधी कार्यवाही ए.एस.ओ. के करना तथा उपरोक्त भूमि केसर चानण, जैसारा, श्योतारायण, कुरड़ा के नाम दर्ज करवाने की बाबत पत्रावली स० 365/70 चालु करना तथा उसमें आदेश दिनांक 12.1.1972 को करवाना गलत लिखा जबकि हिराराम के फौत हो जाने के बाद प्रतिवादीगण की माता घन्नी भी उसमें हकदार थी उसका नाम दर्ज नही किया तथा उसको छुपाया गया है।प्रतिवादीगण की माता धन्नी पुत्री हिराराम ने मिसल स० 365270 में ए.एस.ओ० के समक्ष नातो अपना ब्यान दिया तथा ना ही अपना 1/5 हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में त्याग किया था। वादीगण ने षडयत्र पूर्वक किसी अन्य को खड़ी कर ब्यान एवंम फर्जी अगुछा लगाकर उपरोक्त फर्जकारी कर राजस्व अधिकारी ए.एस.ओ. से मिलकर खातेदारी भूमि अपने अकेलो के नाम दर्ज करवाली तथा प्रतिवादीगण की माता धन्नी को उसके 1/5 हिस्सा से वचिंत करने के लिए ऐसा किया है अगर कार्यवाही सही होती तो खातेदारी एवंम गैर खातेदारी दोनो भूमि वादीगण के नाम होती केवल धन्नी का नाम खातेदारी भूमि से कलमजन करवाया ताकि उनके द्वारा किये गये षडयत्र का मालुम नही चले तथा खातेदारी भूमि हड़प कर ली तथा गैरखातेदारी भूमि धन्नी के नाम करवायी उपरोक्त गैरखातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण की माता ने 1/5 हिस्सा व हिस्सा बराबर अपने भाईयों है प्रतिवादीगण की माता को षडयन्त्र पूर्वक खातेदारी हिस्सा से वंचित किया है उसकी बाबत प्रतिवादीगण अलग से अपना पक्ष रख कर अपने नाम से खातेदारी भूमि दर्ज करवाने के अधिकारी है। जहाँ तक 1/5 हिस्सा गैरखातेदारी मे दर्ज करवाने का वह घन्नी के नाम सही दर्ज है उसे कलमजन वादीगण करवाने के अधिकारी नही है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमावे। प्रतिवादीगण संख्या 8, 9, 14, 18 ता 22, 28, 29 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमे कोई कोई ऐतराज नही है शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गईः–

1. आया कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 व 3/1 से 4/1 की दादी धनी व 4/1 से 4/3 के मौरूसान पप्पूराम व सहीराम व प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 की माता धन्नी देवी अपना हक व हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया जिससे प्रतिवादीगण Estoplled है?

   वादीगण

2. आया कि वादीगण अर्जीदावा में दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर क खाता सं. 840/838 की 10.9260 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 3/1 से 3/4 व प्रतिवादी सं. 4/1 से 4/3 व प्रतिवादीगण सं. 5 ता 6 के नाम दर्ज 2.1852 हैक्टर भूमि जो अर्जीदावा की मद सं. 6 में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवाकर उपरोक्तानुसार हक व हिस्सा के वादीगण ... करवाने के अधिकारी है?

   वादीगण

3. आया कि वादीगण वाद भूमि ... के स्थान पर खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है?

   वादीगण

4. आया कि वाद भूमि मे धन्नी ने कोई हक त्याग नही किया है?

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6

5. आया कि वादीगण व प्रतिवदीगण सं. 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है?

प्रतिवादीगण

6. दादरसी

वादीगण ने तनकीआत के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा भूकरका खाता स0 840 सम्वत 2070–73 ईएक्सपी 1, जमाबंदी भूकरका सम्वत 2066–69 खाता स0 820/752 ईएक्सपी–2, जमाबंदी रोही मौजा भूकरका खाता स0 193 ईएक्सपी–3, जमाबंदी रोही मौजा भूकरका सम्वत 2073–73 खाता स0 838 ईएक्सपी 4, चित्रप्रति फर्द अहकाम दिनांक 29.01.71 से 30.04.1971 बअदालत एएसओ मिस0न0 365/70 अनवाननी चानण वगैरह, प्रमाणित प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल रोही मौजा भूकरका दो प्रति ईएक्सपी–5, प्रमाणित प्रतिलिपी मिसल बन्दोबस्त ईएक्सपी–6, मिलान क्षेत्रफल रोही मौजा भूकरका ईएक्सपी–7, प्रमाणित प्रतिलिपी मिसल बन्दोबस्त ईएक्सपी–8, जमाबंदी रोही मौजा भूकरका सम्वत 2070–73 खाता स0 840 ईएक्सपी–9, प्रमाणित प्रतिलिपी फर्द अहकाम दिनांक 29.01.71 से 30.04.1971 बअदालत एएसओ मिस0न0 365/70 अनवाननी चानण वगैरह ईएक्सपी–10 पेश किये। अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य मे शपथ पत्र पेश किया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन के उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

<u>तनकी नम्बर 1</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ईएक्सपी–10 के मुताबिक पप्पूराम, सहीराम व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की माता धन्नी द्वारा उक्त भूमि में से अपने हक हिस्से का त्याग अपने भाईयो के पक्ष में किया गया है धन्नी द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अंगुठा/हस्ताक्षर किया गये है जो कि तस्दीक है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 2.1852 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 2, 3/1 ता 3/4, 4/1 ता 4/3 के नाम दर्ज है लेकिन प्रतिवादीगण की माता/दादी धन्नी द्वारा उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में सहमति से त्याग किया गया है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ईएक्सपी–10 से पूर्णत्या साबित है कि भू0प्रबन्ध अधिकारी के कार्यालय /न्यायालय में वाद भूमि के सम्बध में विवादि विचाराधीन रहा था जिसमें धन्नी द्वारा अपने ब्यान पंजीबद्व करवाये गये थे कि उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो के पक्ष में त्याग कर दिया गया है उक्त ब्यानों को भू0प्रबन्ध अधिकारी के द्वारा तस्दीक भी किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रति भी पत्रावली में पेश की गई है अर्थात वादी भूमि में धन्नी का कोई हिस्सा नही रहा किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धन्नी के हक त्याग करने के उपरान्त भी वादीगण के हक हिस्सा की भूमि धन्नी के वारिसान के नाम से दर्ज है जिसे कलमजन कर वादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है प्रतिवादीगण का केवल कथन है कि धन्नी के फर्जी हस्ताक्षर है अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे प्रतिवादीगण के कथनों को बल मिलता है फिर भी हस्ताक्षर फर्जी होने के सम्बध में कोई ऐतराज है तो वह सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के स्वतन्त्र थी एवं है।

अतः वादीगण तनकी न0 1 सिद्ध करने में सफल रहा है इसलिए तनकी न0 1 का निर्णय बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 2</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था यह तनकी, तनकी न0 1 पर आधारित है जिसका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक धन्नी द्वारा उक्त भूमि में से अपने हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्से का त्याग अपने भाईयो के पक्ष में किया गया है धन्नी द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अंगुठा/हस्ताक्षकर किया गये है जो कि तस्दीक है धन्नी द्वारा अपनी सहमति से अपने भाईयो के पक्ष में हक त्याग किया गया है इसलिए धन्नी के वारिसान का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है क्योंकि धन्नी तो अपने हक हिस्से का अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण तनकी न0 2 को सिद्ध करने में सफल रहा है इसलिए तनकी न0 2 का निर्णय बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 3</u> :–इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण के मुताबिक चन्दरूराम के दो पुत्रीया है जो की प्रतिवादी स0 1 की बहिने है एवं चन्दरूराम के पांच पुत्र है प्रतिवादी द्वारा नामान्तरण की चित्रपति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि जरिये विरासतन लिलाधर यानि की प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई जिसमें प्रतिवादी स0 1 की बहिनो द्वारा अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याक किया गया है। यानि की चन्दरूराम के सभी वारिसान के नाम 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज होनी थी लेकिन बहिनो द्वारा अपना हक त्याग किया गया है इसलिए प्रतिवादी स0 1 के नाम 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज हुई है। प्रतिवादी स0 1 के नाम 1/7 हिस्सा भूमि में वादीगण का बहिब जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन जो भूमि प्रतिवादी स0 1 को जरिये हक त्याग अपनी बहिनो से प्राप्त है उसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नही है अतः उक्त तनकी का निर्णय खिलाफ वादी बहक प्रतिवादी किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 4</u> :–इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की धन्नी द्वारा उक्त भूमि का कोई हक त्याग नही किया गया है जबकि बअदालत एएसओ मिस0न0 365/70 अनवाननी चानण वगैरह के अवलोकन से स्पष्ट है कि धन्नी द्वारा अपने हक हिस्सा का सहमति से त्याग किया गया है तथा पूर्ण विवेचन तनकी न0 1 में किया जा चुका है जो वादीगण के पक्ष में तय की गई है अतः उक्त तनकी को सिद्ध करने में प्रतिवादीगण असफल रहे इसलिए तनकी न0 4 का निर्णय खिलाफ प्रतिवादी बहक वादीगण किया जाता है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार वाद भूमि पूर्व में हीरा वल्द बीझा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद हीरा के जायज वारिसान करने की पत्रावली भू0प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष पेश की गई जिसे विधि सम्मत गवाहान/ब्यानो के आधार पर हीरा का नाम कलमजन कर हीरा के वारिसान मु0 केसर देवी , च्यानणराम , जेसाराम , श्योनारायण , कुरडाराम के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की माता धन्नी पुत्री हीरा ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो के पक्ष में त्याग करने के ब्यान दिये गये थे जिसके आधार पर धन्नी का नाम भूमि दर्ज नही किया गया था किन्तु वाद भूमि में धन्नी का नाम दर्ज रह गया जिसे वादीगण कलमजन करवाकर अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार जब किसी के द्वारा अपने हक न्यायालय के समक्ष त्याग करने के ब्यान दिये जाते है जो तस्दीक होने के बाद अपने ब्यानो से इन्कार नही कर सकता है अर्थात धन्नी य[illegible] द्वारा हक त्याग के ब्यानो से आज भी पाबन्द है और धन्नी के हक त्याग कर[illegible] उ[illegible]न्त भी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है को कभी भी कलमज[illegible] के अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है वादीगण ने वाद [illegible]र्ड में गैरखातेदारी दर्ज है के खातेदारी का अनुतोष भी चाहा गया है जो हस्तगत [illegible] में नही दिया जा सकता है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है वादीगण उपनिवेशन अधिनियम के तहत खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी

प्राप्त करने के लिये पृथक से वाद/कार्यवाही सक्षम न्यायालय /कार्यालय में करने के लिये स्वतन्त्र है हस्तगत वाद में वादी केवल सहवन से हक त्याग के उपरान्त भी भूमि हकत्याग करने वाले या उसके वारिसान के नाम दर्ज रह गई है को अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 840/838 के ख.न. 412 की 10.383 हैक्टर भूमि व ख.न. 661/2 की 0.1640 हैक्टर भूमि ख.न. 790 की 0.3790 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 10.9260 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज भूमि कुल 2.1852 हैक्टर भूमि में जिसमें वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 7 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा भूमि एवं वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 22 ता 27 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के व वादी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 28 ता 38 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के व प्रतिवादी सं. 12 ता 14 सयुक्ततः व प्रतिवादी सं. 15 ता 18 सयुक्ततः व प्रतिवादी सं. 19 ता 21 सयुक्ततः व प्रतिवादी सं. 8 ता 11 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के काश्तकार है व प्रतिवादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 3/1 ता 3/4 सयुक्ततः के मौरूसान पप्पूराम पुत्र धनी व प्रतिवादी सं. 4/1 ता 4/3 के मौरूसान सहीराम पुत्र माता धन्नी व प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम दर्ज कुल तादादी 2.1852 हैक्टर भूमि में से कलमजन किया जाता है यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावें। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 06/10/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:56 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान : –

1. गंगाराम पुत्र कुरडाराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर हनुमानगढ़
2. जीवणराम पुत्र श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
3. भवरलाल पुत्र खेताराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. साहबराम पुत्र माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. रूडाराम पुत्र माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. पप्पूराम पुत्र माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ –**फौत**

   3/1 शान्ति पत्नि पप्पूराम माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

   3/2 पूजा पुत्री पप्पूराम माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

   3/3 सुनील पुत्र पप्पूराम माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

   3/4 सन्दीप पुत्र पप्पूराम माता धनी पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
4. **सहीराम– फौत**

   4/1 गोरा देवी पत्नि सहीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

   4/2 लीला देवी पुत्री सहीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

   4/3 विनोद पुत्र सहीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
5. सरबती पुत्री माता धनी पत्नि नेतराम पुत्र सहीराम पुत्र माता धनी पुत्री सहीराम जाति बावरी निवासी तन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
6. रामदेई पुत्री माता धनी पत्नि रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–असल प्रतिवादीगण

7. प्रभुराम पुत्र कुरडाराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
8. बलदेव पुत्र महिपतराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
9. बिमला पुत्री महिपतराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
10. राणी पुत्री महिपतराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
11. महेन्द्र पुत्र महिपतराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
12. चावली पुत्री चानणराम पत्नि [illegible]लाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. भानीराम पुत्र चानणराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
14. सन्तोष पुत्री चानणराम पत्नि बृजल[illegible] जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

15. भागादेवी पत्नि भंवरलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
16. बलवन्त पुत्र भवंरलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
17. भजनलाल पुत्र भवंरलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
18. कलावती पुत्री भंवरलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
19. राजेन्द्र पुत्र रतनलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
20. सुमन पुत्री रतनलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
21. पाना पुत्री रतनलाल जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
22. नन्दराम पुत्र श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
23. लिछमा पुत्री श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
24. विद्या पुत्री श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
25. सावित्री पुत्री श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
26. सिलोचना पुत्री श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
27. रामेती पुत्री श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
28. रूकमा देवी पत्नि खेताराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
29. मुन्शीराम पुत्र खेताराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
30. पाना पुत्री खेताराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
31. सन्तोष पुत्री खेताराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर
32. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण वाद

अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 60 सन 2016 निर्णय दिनांक– 06/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एव अधिवक्ता प्रतिवादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री/ स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं. 840/838 के ख.न. 412 की 10.383 हैक्टर भूमि व ख.न. 661/2 की 0.1640 हैक्टर भूमि ख.न. 790 की 0.3790 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 10.9260 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज भूमि कुल 2.1852 हैक्टर भूमि में जिसमें वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 7 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा भूमि एवं वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 22 ता 27 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के व वादी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 28 ता 38 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के व प्रतिवादी सं. 12 ता 14 सयुक्ततः व प्रतिवादी सं. 15 ता 18 सयुक्ततः व प्रतिवादी सं. 19 ता 21 सयुक्ततः व प्रतिवादी सं. 8 ता 11 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के काश्तकार **है** व प्रतिवादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 3/1 ता 3/4 सयुक्ततः के मौरूसान पप्पूराम पुत्र धनी व प्रतिवादी सं. 4/1 ता 4/3 के मौरूसान सहीराम पुत्र माता धन्नी व प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम दर्ज कुल तादादी 2.1852 हैक्टर भूमि में से कलमजन किया जाता है यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। बैक ऋण हो तो बाद रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:08:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर